न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

पिठासीन अधिकारी चन्द्रशेखर भण्डारी, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या 987/2018 प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक 08.08.2018
निणर्य दिनांक 29.07.2019

1. रतनलाल पिता उमाराम भील निवासी वागुन्दा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमंद

प्रार्थी

बनाम

1. चावण्डा माता नाबालिग जरिये पुजारी भोपा नारू पिता मांगु भील निवासी पीपली डोडीयान
2. प्रताप पिता नाथु भील निवासी पीपली डोडीयान
3. तहसीलदार साहब तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत है कि ग्राम पीपली डोडीयान तहसील रेलमगरा की सीमा में प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की आराजी संख्या 1011 1012 1014 1019 स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है यह कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की कलम सख्या 01 में वर्णित आराजीयात के पश्चिम दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1002 एवं 1001 के दक्षिणी पूर्वी दिशा की पाली के रास्ते से होकर उक्त आराजी संख्या 1014 की पश्चिमी दक्षिणी कोने पर रास्ते के रूप में उपयोग कर आता जाता है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश है। यह कि प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1011, 1012, 1014, 1019 में आने जाने, हल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु आराजी सख्या 1002 व 1001 के दक्षिणी पूर्वी दिशा की पाली के रास्ते से अपनी आराजी सख्या 1011, 1012, 1014, 1019 में प्रवेश करने हेतु प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

कर हल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि काश्त करने हेतु साधन सुविधा वर्षो से लाते ले जाते है जो पूर्व के खातेदारो के समय से ही उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर निर्वघ्न रूप से साधिकार पूर्वक करता चला आ रहा है। लेकिन उक्त आराजीयात विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होने से एवं रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही होने के कारण विपक्षीगण रास्ते के लिये परेशान है यह कि आराजी संख्या 1001, 1002 वर्तमान में विपक्षीगण के नाम पर होने से विपक्षीगण जबरन प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग में व्ययवधान बाधा, रूकावट, कारित करते है। तथा प्रार्थी को जबरन अपनी आराजी सख्या 1011, 1012, 1014, एवं 1019 के उपयोग उपभोग में कृषि कार्य करने मे रास्ते में आने जाने हेतु रूकावट बाधा कारित करते है जबकि प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात को विकसित करने हेतु रेकार्डेड रास्ता की आवश्यकता है जबकी उक्त रास्ते को विपक्षीगण बंद करने पर आमादा है एवं आने जाने पर आनाकानी करते है व कहते है कि उक्त आराजियात हमारे नाम पर है हम उक्त रास्ते से नहीं आने जाने देंगे जबकि प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात में आने जाने हेतु उक्त कदमी रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक एवं रेकार्डेड रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है तथा उक्त रास्ते की प्रार्थी को सख्त आवश्यकता है तथा प्रार्थी को उक्त आराजीयात मे आने जाने हेतु उक्त रास्ता मुख्य सडक मार्ग से निकटतम है एवं अन्य कोई वैकल्पिक एवं रेकार्डेड रास्ता प्रार्थी के लिए अपनी आराजी में आने जाने हेतु नहीं है जिस कारण प्रार्थी को विपक्षीगण आये दिन परेशान करते है जिस कारण प्रार्थी को मजबुर होकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है यह कि प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1011, 1012, 1014, एवं 1019 में आने जाने, हल, बैल, बैलगाडी ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु, भुमि के काश्त करने इत्यादि हेतु आराजी सख्या 1001, 1002 की पूर्वी दक्षिणी पाली पर 20 से 30 फिट चौडा एवं सम्पुर्ण लम्बाई प्रार्थी की आराजी संख्या 1014 की पश्चिमी दक्षिणी कोने तक के प्रारम्भ तक के रास्ते की सख्त आवश्यकता है जिस निमित्त प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के बीना प्रार्थी अपने खेतों के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है वर्तमान में खेत ऐसे ही पडे है प्रार्थी रास्ते की भुमि जो रास्ते के उपयोग में आयेगी उक्त भूमि का नियमानुसार प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा विहित किया जायेगा, उसको प्रार्थी तुरन्त अदा करने को तैयार एवं तत्पर है। उक्त रास्ते को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की कलम सख्या 03 में वर्णित किया गया है उसे राजस्व रेकार्ड एवं नक्शाट्रेस में रास्ता के रूप में इन्द्राज कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। जिस निमित्त प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

यह कि विपक्षीगण प्रार्थी के रास्ते में लगातार बाधा कारित कर रहे है तथा आज से लगभग 08 दिन पूर्व प्रार्थी उक्त रास्ते से अपनी आराजी में फसल बोने हेतु ट्रेक्टर लेकर जाने लगा तो विपक्षीगण ने जाने से रोक दिया व वहा छडिया कांटे व थोर डाल कर रास्ते को बंद कर दिया, बंद कर देने से प्रार्थना पत्र का वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जा कर विपक्षीगण को जरिये सुचना तलब किया गया विपक्षीगण बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार रेलमगरा द्वारा रास्ते के सम्बंध में मौका रिपोर्ट ली गई जिसमे खसरा सख्या 1014 में जाने हेतु प्रार्थी द्वारा चाही गई आराजी संख्या 1001, व 1002 में रास्ते की चौडाई 3 गठठा तथा लम्बाई 40 गठठा कुल रकबा 0–06 बिघा भुमि रास्ते के रूप में प्रभावित होगी तथा प्रस्तवित रास्ते में किसी प्रकार का निर्माण/पेड/फसल नहीं है अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपल्ब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251ए का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम पीपली डोडीयान के खसरा सख्या 1014 में जाने हेतु विपक्षी के आराजी संख्या 1001, व 1002 के दक्षिणी पाली की तरफ प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 3 गठठा तथा लम्बाई 40 गठठा कुल रकबा 0–06 बिघा भुमि रास्ते के रूप में प्रभावित होगी जिसे उक्त भुमि को बिलानाम रास्ता कायम किया जावे तथा प्रार्थी से उक्त रकबे की वर्तमान पंजीयन दर अनुसार दो गुना राशि वसुल कर विपक्षीगण को हिस्से अनुसार नियमानुसार राशि लौटाने की कार्यवाही की जावे। पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/7/19

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा